टी०ए० मिस केस सं० 362/2018-19

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
04/05/19		

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक भीमसेन चाम्पिया, पिता-- स्व० सिकुर चाम्पिया, ग्राम-- तुईबीर, थाना-- मुफस्सिल जिला-- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा-- तुईबीर, थाना नं०-- 126 ,खाता नं०-- 14, प्लॉट नं०-- 1491, रकवा-- 0.06 एकड़ भूमि क्रेता बासुदेव बिरूवा, पिता-- मंगल सिंह बिरूवा, ग्राम-- गितिलपी, थाना-- मुफस्सिल के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के पिताजी के नाम पर है जो पंजी II में दर्ज है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जॉच प्रतिवेदन पत्रांक--255, दिनांक-- 30.3.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि गृह निर्माण हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता, बासुदेव बिरूवा, पिता-- मंगल सिंह बिरूवा, ग्राम-- गितिलपी थाना-- मुफस्सिल चाईबासा के पास 1,50,000.00/--(एक लाख पचास हजार) रूपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों मुफस्सिल थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्ये हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.50 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पति प्रर्याप्त है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता भीमसेन चाम्पिया, पिता-- स्व० सिकुर चाम्पिया, ग्राम-- तुईबीर, थाना-- मुफ्फसिल, क्रेता बासुदेव बिरूवा, पिता-- मंगल सिंह बिरूवा, ग्राम-- गितिलपी, थाना-- मुफ्फसिल चाईबासा के पास जमीन का 1,50,000.00/--(एक लाख पचास हजार) रूपये मे मौजा-- तुईबीर, थाना नं०-- 126 ,खाता नं०-- 14, प्लॉट नं०-- 1491, रकवा-- 0.06 एकड जमीन को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की स्वीकृति.........दी जाती है।

लेखापित।

(हस्ताक्षर) 4/5

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
सदर चाईबासा।

(हस्ताक्षर) 4/5/19

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
सदर चाईबासा।

Scanned with CamScanner